

विदेशी मुद्रा - रूपी ऑप्शंस

प्राधिकृत व्यापारियों को 7 जुलाई 2003 से विदेशी मुद्रा-रूपी ऑप्शंस की पेशकश करने की अनुमति है। यह निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:

ए) यह उत्पाद बैंक-टू-बैंक आधार पर न्यूनतम 9 प्रतिशत सीआरएआर वाले प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा पेश किया जा सकता है।

बी) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी/प्रबंधन प्रणाली, मार्क टू मार्केट तंत्र और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों को रिज़र्व बैंक से एक बारगी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक ऑप्शन बुक चलाने की अनुमति दी जाएगी:

- i. कम से कम तीन वर्षों के लिए निरंतर लाभप्रदता
- ii. न्यूनतम 9 प्रतिशत सीआरएआर
- iii. उचित स्तर पर निवल एनपीए (निवल अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं)
- iv. रुपये 200 करोड़ से कम न्यूनतम निवल मालियत नहीं।

सी) प्रारंभ में, प्राधिकृत व्यापारी केवल प्लेन वैनिला यूरोपीय ऑप्शन की पेशकश कर सकते हैं।

डी) i. ग्राहक कॉल या पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं।

ii. ग्राहक पैकेज्ड उत्पादों को भी चुन सकते हैं जिनमें लागत कम करने वाली संरचनाएं शामिल हैं, बशर्ते ये संरचनाएं अंतर्निहित जोखिम को न बढ़ाएं और इनसे ग्राहकों को प्रीमियम प्राप्त न हो।

iii. ग्राहकों द्वारा ऑप्शंस के राइटिंग की अनुमति नहीं है।

ई) प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उत्पाद का उपयोग करने में रुचि रखने वाले ग्राहकों से इस बात का एक घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उन्होंने उत्पाद की प्रकृति और इसके निहित जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है।

एफ) प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा ऑप्शन प्रीमियम को रुपये में या आनुमानिक रुपये/विदेशी मुद्रा के प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया जाए।

जी) ऑप्शन संविदाओं का निपटान परिपक्वता पर या तो स्पॉट बेसिस पर सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है या संविदा में विनिर्दिष्ट किए अनुसार स्पॉट बेसिस पर रुपयों में निवल नकद निपटान द्वारा किया जा सकता है। परिपक्वता से पहले लेनदेन को समाप्त करने के मामले में, संविदा के एक समान ऑफसेटिंग विकल्प के बाजार मूल्य के आधार पर नकद निपटान किया जा सकता है।

एच) फॉरवर्ड संविदाओं की बुकिंग, रोलिंग ओवर और निरस्तीकरण के लिए लागू सभी शर्तें ऑप्शन संविदाओं पर भी लागू होंगी। पिछले प्रदर्शन के आधार पर फॉरवर्ड संविदाओं की बुकिंग के लिए उपलब्ध सीमा- अर्थात् बकाया

संविदाएं 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम सीमा के भीतर पिछले तीन वर्षों के आयात/निर्यात कारोबार का औसत 25 प्रतिशत से अधिक न होमें ऑप्शन लेनदेन शामिल होंगे। फॉरवर्ड संविदाओं के मामले में रिज़र्व बैंक को आवेदन करने पर मामला-दर-मामला आधार पर उच्चतर सीमाओं की अनुमति दी जाएगी।

आई) एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष एक्सपोजर/उसके हिस्से के लिए केवल एक हेज लेनदेन बुक किया जा सकता है।

जे) ऑप्शन संविदाओं का उपयोग आकस्मिक या व्युत्पन्न एक्सपोजरों (विदेशी मुद्रा में निविदा बोलियों को प्रस्तुत करने से उत्पन्न एक्सपोजरों को छोड़कर) को हेज करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

## 2. उपयोगकर्ता

ए) जिन ग्राहकों के पास समय-समय पर संशोधित [अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000](#) की अनुसूची I और II के अनुसार वास्तविक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, वे ऑप्शन संविदाओं में प्रवेश करने के पात्र हैं।

बी) प्राधिकृत व्यापारी ट्रेडिंग बहियों और तुलन-पत्र एक्सपोजर की हेजिंग के उद्देश्य से इस उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं।

## 3. जोखिम प्रबंधन और विनियामक मुद्दे

ए) ऑप्शन बुक चलाने और मार्केट मेकर के रूप में कार्य करने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड/जोखिम समिति/एएलसीओ) के अनुमोदन और इस संबंध में प्रस्तुत विस्तृत ज्ञापन की एक प्रति के साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 को आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी जो बैंक-टू-बैंक आधार पर उत्पाद का उपयोग करना चाहते हैं, वे उपर्युक्त प्रभाग को इस संबंध में सूचित करें।

बी) बाजार निर्माताओं को स्पॉट मार्केट तक पहुंच बनाकर अपने ऑप्शन पोर्टफोलियो के 'डेल्टा' को हेज करने की अनुमति होगी। अंतर-बैंक बाजार में ऑप्शन लेनदेन में प्रवेश करके अन्य 'ग्रीक्स' को हेज किया जाए। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का 'डेल्टा' ओवरनाइट ओपन पोजीशन का हिस्सा होगा। 'एजीएल' के प्रयोजन के लिए ऑप्शन संविदाओं को शामिल करने के संबंध में, प्रत्येक परिपक्वता के अंत में 'डेल्टा समतुल्य' को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक बकाया ऑप्शन संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता (जीवन) को विभिन्न परिपक्वता बकेट के तहत समूहीकरण के उद्देश्य के लिए आधार के रूप में लिया जा सकता है। (ऑप्शन संविदाओं से संबंधित विभिन्न 'ग्रीक्स' की परिभाषा के लिए, कृपया विदेशी मुद्रा-रुपया ऑप्शंस पर भारतीय रिज़र्व बैंक की तकनीकी समिति की रिपोर्ट देखें - प्रासंगिक उद्धरण अनुबंध II में दिए गए हैं)

सी) वर्तमान में, प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन सीमाओं के भीतर ऑप्शन पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें।

डी) ऑप्शन बुक चलाने वाले प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा-रुपया ऑप्शंस में बाजार निर्माण से उत्पन्न जोखिमों को कवर करने के लिए प्लेन वैनिला क्रॉस करेंसी ऑप्शन ऑप्शंस शुरू करने की अनुमति है।

ई) दैनिक आधार पर पोर्टफोलियो के मार्किंग टू मार्केट के लिए बैंकों को आवश्यक प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए। फेडरैल रेजर्व को निहित अस्थिरता अनुमानों का एक मैट्रिक्स दैनिक रूप से प्रकाशित करेगा, जिसका उपयोग बाजार प्रतिभागी अपने पोर्टफोलियो को मार्किंग टू मार्केट के लिए कर सकते हैं।

#### 4. रिपोर्टिंग

प्राधिकृत व्यापारियों को किए गए लेनदेन की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर रिज़र्व बैंक को संलग्न प्रारूप के अनुसार देनी होगी।

#### 5. लेखांकन

ऑप्शन संविदाओं के लिए लेखांकन ढांचा फेडरैल रेजर्व के दिनांक 29 मई 2003 के परिपत्र संख्या एसपीएल-24/एफसी-रूपी ऑप्शंस/2003 के अनुसार होगा।

#### 6. प्रलेखन

बाजार सहभागी केवल आईएसडीए प्रलेखन का अनुपालन करें।

#### 7. पूंजीगत अपेक्षाएं

पूंजीगत अपेक्षाएं हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

8. बैंकों को ऑप्शन लेनदेन करने से पहले अपने कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए और आवश्यक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। उन्हें अपने घटकों को उत्पाद से परिचित कराने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

9. बाजार की गतिविधि के आधार पर छह माह के बाद उत्पाद को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।

10. विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।

11. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की सामग्री को अपने संबंधित घटकों के ध्यान में लाएं।

..... को समाप्त सप्ताह के लिए ऑप्शन लेनदेन रिपोर्ट

क्रम. सं.	व्यापार की तिथि	क्लाइंट/सी-पार्टी का नाम	आनुमानिक	ऑप्शन कॉल/पुट	स्ट्राइक	परिपक्वता	प्रीमियम	उद्देश्य*

\*तुलन-पत्र, ट्रेडिंग या क्लाइंट से संबंधित जानकारी का उल्लेख करें।